FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0001 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/01/2026 16:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 09/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/09/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:40 बजे **Time To (समय तक):** 15:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/01/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/01/2026 16:07:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 32 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** POLICE THANA ALIGARH AVM, POLICE CHAUKI PACHALA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANRAJ MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BATTILAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHEKWA, Kotwali Sawaimadhopur, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHEKWA, Kotwali Sawaimadhopur, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PAWAN KUMAR		पिता:PITRAM	1. GOAN SALAM KA BAAS,POST BADSARI KA BAAS,SURAJGARH,SURAJ GARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	KARAMVEER SINGH CHAHAR		पिता:PARTHVI SINGH CHAHAR	1. GRAM AVM POST CHARAWAS,KHETRI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं मनराज मीना पुत्र श्री बत्तीलाल मीना, जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी डेकवा, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हॅू। मेरा भाई राजमहल मीणा पुत्र बत्तीलाल मीणा रवांजना डूंगर थाने के केस में सवाई माधोपुर जैल में बंद था। मेरे भाई राजमहल मीना व अन्य के विरूद्व पुलिस थाना अलीगढ में प्रकरण संख्या 158/2024 दर्ज था। उक्त प्रकरण में मेरे भाई राजमहल मीना को अलीगढ थाने वाले सवाई माधोपुर जैल से प्रोडेक्शन वारंट से सोमवार दिनांक 08.09.2025 को अलीगढ थाने में लेकर गऐ थे। जिस पर मैं मेरे परिचित पचाला चैकी के सिपाही करमवीर से मिला तो उसने कहा कि, मेरी थानेदार साहब पवन जी से बात हो गयी है, तेरे भाई के साथ कोई मारपीट नही करेगे, लेकिन मारपीट नही करने व कोर्ट में पेश करने के बदले 40 हजार रूपये की मांग कर रहे है। तुम सिधे ही थानेदार साहब पवन जी से मिलकर बात कर लेना। मैं थानेदार साहब व अन्य किसी भी कर्मचारी को रिश्वत देना नही चाहता हॅू। बल्कि रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजीश व लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- मनराज मीना पुत्र श्री बत्तीलाल मीना, जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी डेकवा, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर मो. नं. दिनांक- 09.09.25 हस्ता. ज्ञान सिंह चैधरी अ.पु.अ. दिनांक 09.09.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह- श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक दिनांक 10.09.2025,कार्यवाही पुलिसप्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 09.09.2025 को समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री मनराज मीना पुत्र श्री बत्तीलाल मीना, जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी डेकवा, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर ने कार्यालय अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर में उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मय आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति एवं पुलिस थाना अलीगढ में दर्ज एफआईआर नम्बर 158/2024 की स्वप्रमाणित प्रति के इस आशय की पेश की कि मैं मनराज मीणा ग्राम डेकबा पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हॅू। मेरा भाई राजमल मीणा पुत्र बत्तीलाल मीणा रवांजना डूंगर थाने के केस में सवाई माधोपुर जैल में बंद था। मेरे भाई राजमल मीना व अन्य के विरूद्व पुलिस थाना अलीगढ में प्रकरण संख्या 158/2024 दर्ज था। उक्त प्रकरण में मेरे भाई राजमल मीना को अलीगढ थाने वाले सवाई माधोपुर जैल से प्रोडेक्शन वारंट से सोमवार दिनांक 08.09.2025 को अलीगढ थाने में लेकर गऐ थे। जिस पर मैं मेरे परिचित पचाला चैकी के सिपाही करमवीर से मिला तो उसने कहा कि, मेरी थानेदार साहब पवन जी से बात हो गयी है, तेरे भाई के साथ कोई मारपीट नही करेगे, लेकिन मारपीट नही करने व कोर्ट में पेश करने के बदले 40 हजार रूपये की मांग कर रहे है। तुम सिधे ही थानेदार साहब पवन जी से मिलकर बात कर लेना। मैं थानेदार साहब व अन्य किसी भी कर्मचारी को रिश्वत देना नही चाहता हॅू। बल्कि रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजीश व लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं पेष एफआईआर एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिष्वत की मांग का पाया जाने पर श्री राजवीर सिंह कानि 149 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी मनराज मीणा से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर तत्पष्चात कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैक माडल सोनी बरंग काला को निकालकर उसमें नया सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड डालकर खाली होना सुनिष्चित कर तथा वाईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिष्चित कर परिवादी एवं श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को चालू व बंद करने की विधि समझाकर कार्यालय के श्री भोलाराम कानि. 281 व श्री हम्मीर

सिंह कानि0 02 को गवाह मामूर कर परिवादी मनराज मीना के समक्ष जरिये फर्द सुपुर्द किया गया एवं कानि. राजवीर सिंह को हिदायत की गई कि परिवादी के संदिग्ध आरोपीगण के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें एवं परिवादी वसंदिग्ध आरोपीगण के मध्य हुई रिष्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिष्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वाॅइस रिकाॅर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख ले। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे तथा परिवादी को अपने साथ कार्यालय में उपस्थित साथ लावें। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई । इसके पश्चात समय 12.40 पी.एम पर परिवादी श्री मनराज मीणा एवं श्री राजवीर सिंह कानि 149 को परिवादी के निजी वाहन से संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना अलीगढ के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया।तत्पश्चात समय 03.10 पी.एम. पर श्री राजवीर सिंह कानि नम्बर-149 मय परिवादी मनराज मीणा एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर में उपस्थित आये तथा परिवादी मनराज मीणा ने मन अतिरिक्त पुलिस को बताया कि मै व राजवीर सिंह जी आपके कार्यालय से मेरे निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना अलीगढ के पास पहुंचे। जहां राजवीर जी रोड के एक साईड में सुनसान स्थान पर मेरे निजी वाहन को खडा करवाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मेरे से वाईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दे दिया, जिसे मैंने अपने गले टांगकर पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना हो गया। राजवीर जी वहीं पुलिस थाना अलीगढ के आस-पास खडे हो गये। मैं पुलिस थाना अलीगढ के अन्दर चला गया, जहां पर मुझे एक पुलिस वाला मिला, उसने कहा कि बताओ, तो मैने कहा कि राजमल का भाई हूॅं, तो उसने कहा की बाहर बैठ जाओ, बाबूलाल जी बाहर गये हुये है, इसके थोडी देर बाद पवन कुमार थानाधिकारी आये, जिस पर पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, फिर थानेदार के कमरे चला गया, जहां पर थानेदार जी बैठे हुये थे, मैने मेरे भाई राजमल के साथ थाने में हुई मारपीट के बारे में बातचीत की। इस पर उन्होने कहा कि इतने दिन से क्यू नही आ रहा वो तेरह महीने हो गये एफआईआर दर्ज हुये इतने दिन से क्यू भाग रहा है, आना पडा ना। इसके बाद हम दोनो मेरे भाई के प्रकरण के सम्बन्ध में बातचीत करने लग गये, फिर मैने कहा कि मुझे करमवीर जी ने भेजा है और कहा कि सर पूछ आना कितने पैसे लाने है। इस पर थानेदार जी ने कहा कि तू ही बता दे तो मैने कहा कि साहब गरीब आदमी हूॅं, आप ही बता दो हिसाब से फिर उसके बाद थानेदार जी ने एक कागज पर लिखकर 30,000/- रूपये बताये तो मैने कहा कि सर मेरे पास तो दस हजार रूपये ही है। जिस पर थानेदार जी ने धीमी आवाज में कहा कि तीस हजार रूपये। जिस पर मैने कहा कि कब देने है, अभी तो दस हजार रूपये ही है। इस पर थानेदार जी ने कहा कि पूरे ही लिया तो मैने कहा कि यही ले आउ तो उन्होने कहा कि चैकी पर ही दे जाना। इसके बाद मै पुलिस थाने अलीगढ से बाहर आ गया, जहां पर मुझे लाखन सिपाही जो थानेदार जी रीडर है, वो मिला उससे मैने मेरे भाई राजमल के सम्बन्ध में बातचीत कर मैं राजवीर जी के पास आ गया, जहां पर राजवीर जी ने मेरे रिकाॅर्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा मैने राजवीर जी को थानेदार से हुई रिश्वत मांग के दौरान हुई वार्ता के बारे में बताया। इसके बाद मै और राजवीर जी पुलिस थाना अलीगढ के पास से रवाना होकर थानेदार पवन कुमार के कहे अनुसार पुलिस चैकी पचाला के पास पहुंचे, जहां पर राजवीर जी ने मुझे वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर दिया था, वाईस रिकाॅर्डर को मैने प्राप्त कर अपने गले में टांग कर पुलिस चैकी पचाला पर चला गया, जहां पर मुझे करमवीर कानिस्टेबल मिला, जिससे मैने थानेदार से हुई वार्ता के बारे में बताया, इसके पश्चात करमवीर ने थानेदार से मोबाईल पर वार्ता कर मैने करमवीर जी को दस हजार रूपये देने की कहकर मैने उनको 9,500/- रूपये दिये तो उन्होने खाना बनाने वाले को देने के लिये कहा, जिस पर मैने चैकी पर खाना बनाने वाले को दे दिये, जिसने गिनकर अपने पास रख लिये। इसके बाद करमवीर कानिस्टेबल ने मेरी तलाशी ली और मेरा फोन चैक किया। इसके बाद मैनें करमवीर जी से मेरे भाई राजमल को कोर्ट में पेश करने के सम्बन्ध में बातचीत की, इसके पश्चात करमवीर जी मुझे मोटरसाईकिल से बस स्टेण्ड पचाला पर छोडकर चले गये। करमवीर कानिस्टेबल के जाने के बाद मैं राजवीर जी के पास आ गया, जहां पर उन्होने मेरे से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। मैने मेरे व करमवीर कानिस्टेबल के मध्य रिश्वत राशि देने के सम्बन्ध में हुई वार्ता के बारे में राजवीर जी को बता दिया इसके बाद हम दोनो मेरे निजी वाहन से आपके कार्यालय में आ गये। इस पर राजवीर सिंह कानि. से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित गवाह श्री हम्मीर सिंह कानि. व भोलाराम कानि. के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी पवन कुमार थानाधिकारी अलीगढ द्वारा परिवादी से उसके भाई राजमल के साथ मारपीट नही करने व कोर्ट में पेश करने की एवज में तीस हजार रूपये लिखकर व बोलकर पुलिस चैकी पचाला के कानिस्टेबल करमवीर को दिलाने की कहने पर परिवादी मनराज मीणा पुलिस चैकी पचाला पहुंचकर करमवीर कानि. के कहने पर अन्य व्यक्ति लांगरी को 9,500/- रूपये रिश्वत राशि देना तथा शेष रिश्वत राशि 20,000/- दिनांक 10.09.2025 को प्रातः काल देना स्पष्ट पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लाक किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनराज मीणा को भी आवश्यक हिदायत कर दिनांक 10.09.2025 को प्रातः 07.00 ए.

एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी/पावन्द बाबत् उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर के नाम तहरीर क्रमांक 856/09.09.2025 जारी कर श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर रवाना कर श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक को पावन्द करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 10.09.2025 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की स्वीकृति चाही तो दोनो ने अपनी अपनी स्वयं की स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी, तत्पष्चात दोनो गवाहों का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री मनराज मीणा से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 09.09.2025 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। इसके पश्चात समय 08.30 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनराज मीणा को संदिग्ध आरोपीगण पवन कुमार थानाधिकारी व कर्मवीर कानिस्टेबल को रिष्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/-रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी मनराज मीणा ने संदिग्ध आरोपीगण को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष किये। पेष शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पष्चात कार्यवाहक मालखाना प्रभारी मनोज कुमार कानि. 133 से मालखाना ताला खुलवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाने में से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में रखी साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 20,000/-रूपये के नोटो पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मनराज मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हिम्मत सिंह छात्रावास अधीक्षक से लिवाई गई, जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया, इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपीगण को दिये जाने के लिये परिवादी के पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा आरोपी उक्त रिष्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिष्वत प्राप्त करने पर मौका स्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के या राजवीर सिंह कानि. 149 के मोबाईल पर मिसकाल कर ईषारा करे, साथ ही दोनों गवाहो को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह भरतलाल गुर्जर से कार्यालय में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 से ट्रेप बाक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री भरतलाल गुर्जर से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिसे हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय के मालखाना में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बाक्स में स्वतंत्र गवाह श्री भरतलाल गुर्जर के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाषी लिवाई गई

जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिष्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकाॅर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में जिसमें दिनांक 09.09.2025 को परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की रिकाॅर्डिंग का एसडी कार्ड लगा होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया एवं श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को मौका स्थिति अनुसार उक्त वाॅईस रिकार्डर परिवादी के संदिग्ध आरोपीगण के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। इसके पश्चात कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री मनराज मीणा द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर परिवादी को उसके निजी वाहन से रवाना कर उसके पीछे पीछे श्री राजवीर सिंह कानि. 149 व ब्रहमदेव कानि0 449 को राजवीर सिंह कानि की निजी मोटरसाईकिल से उनके पीछे-पीछे श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि0 02, श्री रामकेश कानि. 98, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक एसीबी धौलपुर को प्राईवेट वाहन से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक एवं श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री भोलाराम कानि. 281, मय सरकारी मोबाईल सहित मय टेªप वोक्स एवं लेपटोप मय पिं्रटर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन के लेकर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही पुलिस चैकी पचाला व पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात समय 10.40 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट वाहनों के पुलिस चैकी पचाला के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी मनराज मीणा को श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस चैकी पचाला के लिये रवाना किया तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि0 02, श्री रामकेश कानि. 98, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक एसीबी धौलपुर को प्राईवेट वाहन से मुनासिफ हिदायत कर पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना किया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी के पुलिस चैकी पचाला के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के पुर्व निर्धारित ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। इसके कुछ समय बाद ही परिवादी मनराज मीना बिना ईशारे के ही पुलिस चैकी पचाला से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया, जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर स्वंय के पास सुरक्षित रखा और पूछने पर परिवादी ने स्वंतत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस चैकी पचाला पहुंचा, जहां पर मुझे दो व्यक्ति मिले एक व्यक्ति को जिसे मैं जानता हॅू, क्योंकि कल दिनांक 09.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान करमवीर कानिस्टेबल को मेरे द्वारा दी गयी रिश्वत राशि नौ हजार पांच सौ रूपये को करमवीर कानिस्टेबल द्वारा उस व्यक्ति को दिलवायी थी। जो पुलिस चैकी पर खाना बनाने का काम करता है तथा एक व्यक्ति को मै नही जानता हॅू। मैने उनसे करमवीर कानिस्टेबल के बारे में पूछा तो उन्होने कहा कि फोन कर लो, उस व्यक्ति ने मेरे से मेरा नाम पता पूछकर स्वंय के फोन से करवमवीर कानिस्टेबल से मेरी वार्ता करवाई तो करमवीर जी ने कहा कि तू इसको देदे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा क्या काम है इससे, मै नही लू। इसके बाद करमवीर कानिस्टेबल ने उस व्यक्ति से कहा कि जगदीश को दिलवा दो, तो उस व्यक्ति ने मुझे चैकी पर खाना बनाने वाले के साथ जगदीश सरपंच के पास भेज दिया, इसके बाद मै और लांगरी जगदीश सरपंच के पास उसके घर पहुंचे, जहां पर हमें जगदीश सरपंच मिल गया मैने कहा कि करमवीर जी से बात हुई क्या । इसके बाद मैने सरपंच से दिनांक 09.09.2025 को करमवीर कानिस्टेबल से हुई वार्ता के बारे में सरपंच को बताते हुये कहा कि करमवीर से बात करवा दो, तो जगदीश सरपंच ने फोन किया तो करमवीर का फोन स्विच आफ आया। इसके बाद मैने उससे इस सम्बन्ध में बातचीत कर आपके पास आ गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर को चैक किया परिवादी व अन्य व्यक्ति व करमवीर कानिस्टेबल से जरिये मोबाईल हुई वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में पुलिस थाना अलीगढ में रवानाशुदा जाप्ते को ब्यूरो चैकी सवाई माधोपुर पहुचने की हिदायत की गई एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मनराज मीणा मय प्राईवेट वाहन/मोटरसाईकिल के पुलिस चैकी पचाला के पास से ब्यूरो चैकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 12.05 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान, परिवादी एवं जाप्ता के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय ट्रेप बौक्स आदि सामग्री के ब्यूरो ईकाई सवाई माधोपुर आया तथा ट्रैप बाक्स व लैपटाॅप प्रिन्टर को एवं वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया एवं रिष्वती राषि को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने फर्द पेशकशी पाउडर लगाने वाल श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से परिवादी मनराज मीना के पहनी हुई शर्ट की बांयी जैब में रखी रिश्वति राशि को निकलवाकर तथा पूर्व में कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से उक्त रिश्वत राशि का दोनो स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो वही नोट हुबहु मिले, जिन्हे पीले रंग के लिफाफे में सुरक्षित रखवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी के लाॅक में सुरक्षित रखवाया गया।इसके पश्चात समय 12.15 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हिम्मत सिंह छात्रावास

अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक एवं परिवादी श्री मनराज मीणा के सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वाॅईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी मनराज मीणा एवं संदिग्ध आरोपी श्री पवन थानाधिकारी व कर्मवीर कानिस्टेबल के मध्य दिनांक 09.09.2025 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को कार्यालय कम्प्यूटर में चलाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की फाईल 250909-1332ए 250909-1423 मे रिकार्ड वार्ता को सुना व सुनाया जाकर परिवादी से रिकार्ड वार्ता की आवाज की पहचान करवाकर रिकाॅर्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि0 149 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा राजवीर सिंह कानि0 149 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कम्पयूटर की सहायता से चार नये खाली पैनड्राईव i ball PENDANT 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क-ए एवं मुलजिम प्रति मार्क-ए-1, ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 में डब करवाई जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कम्पयूटर की मदद से ऐक्सेस डाटा एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट कर डब पेन ड्राईवों को पैनड्राईव कबरों में सुरक्षित रख मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर मार्क अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई. ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए एवं मुलजिम प्रति पैनड्राईव मार्क ए-1, ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा समय 05.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हिम्मत सिंह छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक एवं परिवादी श्री मनराज मीणा के सामने परिवादी श्री मनराज मीणा व संदिग्ध आरोपी श्री करमवीर कानिस्टेबल पुलिस चैकी पचाला व अन्य के मध्य दिनांक 10.09.2025 को हुई रिश्वत लेन-देन संबंधित वार्ता मोबाईल फोन वार्ता जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर 250910-1021 में रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर से चलाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल 250910-1021 मे रिकार्ड वार्ता को सुना व सुनाया जाकर परिवादी से रिकार्ड वार्ता की आवाज की पहचान करवाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि0 149 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा राजवीर सिंह कानि0 149 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन संबंधित वार्ता की कम्पयूटर की सहायता से चार नये खाली पैनड्राईव i ball PENDANT 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क-बी, एवं मुलजिम प्रति मार्क-बी-1, बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-बी-3 में डब करवाई जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कम्पयूटर की मदद से ऐक्सेस डाटा एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट कर डब पेन ड्राईवों को पैनड्राईव कबरों में सुरक्षित रख मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर मार्क अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-बी एवं मुलजिम प्रति पैनड्राईव मार्क बी-1, बी-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए, ए-1, ए-2 बी, बी-1, बी-2 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि 133 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। बाद कार्यवाही दोनो गवाहान व परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो चैकी से रूखसत किया गया।इसके बाद दिनांक 14.09.2025 को समय करीबन 04.00 पी.एम पर परिवादी मनराज मीना कार्यालय में उपस्थित आकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 13.09.2025 को मेरे गांव डेकवा के मेरे मिलने वाले राकेश मीना ने बताया कि पुलिस चैकी पचाला के करमवीर कानिस्टेबल ने 20,000/- रूपये देने की कहा है। परिवादी ने बताया कि मैने मेरे स्तर पर पता करवाया है कि आज दिनांक को करमवीर कानिस्टेबल व पवन कुमार थानेदार ड्ूयटी में बाहर गये है। इसलिये मै कल दिनांक 15.09.2025 को उनसे सम्पर्क कर सकता हॅू। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान को जरिये टेलिफोन सूचित करवाया कि आप कल दिनांक 15.09.2025 को प्रातः काल 06.00 ए. एम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी को कल दिनांक 15.09.2025 को प्रातः काल 06.00 ए.एम पर ब्यूरो चैकी में उपस्थित आने की हिदायत कर ब्यूरो चैकी से रूखसत किया गया।इसके बाद दिनांक 15.09.2025 को समय करीबन 06.00 ए.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा परिवादी मनराज व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये, जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी मनराज व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 10.09.2025 को कार्यालय आलमारी में रखी रिश्वति राशि 20,000/- रूपये के पीले रंग के लिफाफे को श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से कार्यालय आलमारी का लाॅक खुलवाकर अलमारी में रखे पीले रंग के लिफाफे मय रिश्वती राशि 20,000/- रूपये को निकलवाकर रिष्वती राषि को पीले रंग के लिफाफे में निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 10.09.2025 को तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो वही नोट हुबहु मिले। उक्त नोटो पर पुनः हल्का-हल्का फिनाफ्थलीन

पाउडर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से लगवाकर परिवादी के पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा आरोपी उक्त रिष्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिष्वत प्राप्त करने पर मौका स्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के या राजवीर सिंह कानि. 149 के मोबाईल पर मिसकाल कर ईषारा करे, साथ ही दोनों गवाहो को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय के मालखाना में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बाक्स में स्वतंत्र गवाह श्री भरतलाल गुर्जर के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। स्वतंत्र गवहान तथा प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाषी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिष्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में जिसमें दिनांक 09.09.2025 एवं 10.09.2025 को परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग का एसडी कार्ड लगा होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया एवं श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को मौका स्थिति अनुसार उक्त वाईस रिकार्डर परिवादी के संदिग्ध आरोपीगण के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। इसके बाद परिवादी को उसके निजी वाहन से रवाना कर उसके पीछे पीछे श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को निजी मोटरसाईकिल से उनके पीछे-पीछे श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि0 02, श्री रामकेश कानि. 98 को सरकारी वाहन से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक एवं श्री भोलाराम कानि. 281, मय सरकारी मोबाईल सहित मय ट्रेप बाक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन के लेकर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही पुलिस चैकी पचाला व पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना हुआ। कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात समय 07.25 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट/सरकारी वाहनों के पुलिस चैकी पचाला के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी मनराज मीणा को श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस चैकी पचाला के लिये रवाना किया तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि0 02, श्री रामकेश कानि. 98 को सरकारी वाहन से मुनासिफ हिदायत कर पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना किया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी के पुलिस चैकी पचाला के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के पुर्व निर्धारित ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय करीबन 08.00 ए.एम पर परिवादी मनराज मीना बिना ईशारे के ही पुलिस चैकी पचाला से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया, जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर स्वंय के पास सुरक्षित रखा और पूछने पर परिवादी ने स्वंतत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस चैकी पचाला पहुंचा, जहां पर मुझे करमवीर कानिस्टेबल मिला, उससे मैने मेरे भाई राजमल के केस के सम्बन्ध में बातचीत की तो करमवीर ने कहा कि बाबूलाल जी आपके भाई के केस में आई.ओ. उनसे ही जाकर मिलो, इसके पश्चात मैने उनको रिश्वति राशि बीस हजार रूपये देने लगा तो करमवीर कानि. ने कहा की फालतू बात मत करो और लेने से मना कर दिया और मुझे बाबुलाल जी के मोबाईल नम्बर देकर चैकी भेज दिया। इसके बाद मैं चैकी पचाला से रवाना होकर आपके पास आ गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व से रवानाशुदा जाप्ता श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि0 02, श्री रामकेश कानि. 98 को अपनी उपस्थिति का छिपाव रखते हुये पुलिस थाना अलीगढ के आस पास ही रूकने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी मनराज की निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर हिदायत दी की पुलिस थाना अलीगढ कुछ दूरी पूर्व मिलने की हिदायत कर श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक एवं श्री भोलाराम कानि. 281, मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय डले मैमोरी कार्ड सहित मय सरकारी मोबाईल सहित मय ट्रेप बाक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन के मौके से रवाना होकर पुलिस थाना अलीगढ के पास पहुंचे, जहां पर जहां पर परिवादी मनराज अपने निजी मोटरसाईकिल व राजवीर सिंह कानि. व पूर्व का रवानाशुदा श्री मनोज कुमार कानि. 133, श्री हम्मीर सिंह कानि0 02, श्री रामकेश कानि. 98 मय सरकारी वाहन के

उपस्थित मिले। इसके पश्चात समय 08.20 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष स्वंय के पास सुरक्षित डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड डले सहित को परिवादी मनराज को वाईस रिकार्डर चालू बन्द करने की विधि समझाकर वाईस रिकार्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी करमवीर कानि. के कहे अनुसार श्री बाबूलाल एएसआई से मिलने हेतु परिवादी को पुलिस थाना अलीगढ के लिये रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री राजवीर सिंह कानि. व रामकेश कानि. 98 को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय सरकारी/प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना अलीगढ के आस-पास परिवादी के इन्तजार में मुकीम हुये। इसके पश्चात समय 08.50 ए.एम पर परिवादी मनराज मीना मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया, जिससे चालू हालत में वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा, पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना अलीगढ पहुंचा, जहां पर मैने बाबूलाल जी के बारे में मालूमात की तो बाबूलाल जी थाने पर नही होना बताया। वहीं पर मुझे थानेदार पवन कुमार जी व थाने के अन्य 2-3 पुलिसकर्मी मिल गये, जिनसे मैने मेरे भाई राजमल की जमानत खारिज होने व चालान पेश करने के बारे मे बातचीत की। इसके बाद मैं पुलिस थाना अलीगढ से रवाना होकर आपके पास आ गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मनराज मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर इत्यादी उपकरणो के प्राईवेट/सरकारी वाहनों के मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर पहुंचा। जहां पर ट्रैप बाक्स व लैपटाप प्रिन्टर को एवं वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया एवं रिष्वती राषि को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने फर्द पेशकशी पाउडर लगाने वाल श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से परिवादी मनराज मीना के पहनी हुई शर्ट की बांयी जैब में रखी रिश्वति राशि को निकलवाकर तथा पूर्व में कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से उक्त रिश्वत राशि का दोनो स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो वही नोट हुबहु मिले, जिन्हे पीले रंग के लिफाफे में सुरक्षित रखवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी के लाक में सुरक्षित रखवाया गया।इसके पश्चात समय 10.15 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हिम्मत सिंह छात्रावास अधीक्षक व श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक एवं परिवादी श्री मनराज मीणा के सामने आज दिनांक 15.09.2025 को संदिग्ध अरोपीग करमवीर कानि. पुलिस चैकी पचाला व पवन कुमार थानेदार व अन्य पुलिसकर्मीयों के मध्य हुई वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वाॅईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी मनराज मीणा एवं संदिग्ध आरोपीगण श्री पवन कुमार थानाधिकारी व कर्मवीर कानिस्टेबल के मध्य हुई रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को कार्यालय कम्प्यूटर में चलाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की फाईल 250915 -0725, 250915 -0823 मे रिकार्ड वार्ता को सुना व सुनाया जाकर परिवादी से रिकार्ड वार्ता की आवाज की पहचान करवाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि0 149 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा राजवीर सिंह कानि0 149 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कम्पयूटर की सहायता से चार नये खाली पैनड्राईव Kingston 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क-सी एवं मुलजिम प्रति मार्क-सी-1, सी-2 एवं आई. ओ. प्रति मार्क-सी-3 में डब करवाई जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कम्पयूटर की मदद से ऐक्सेस डाटा एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट कर डब पेन ड्राईवों को पैनड्राईव कबरों में सुरक्षित रख मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर मार्क अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क सी-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-सी एवं मुलजिम प्रति पैनड्राईव मार्क सी-1, सी-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-सी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-सी, सी-1, सी-2 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि 133 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। बाद कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।इसके पश्चात दिनांक 31.10.2025 को समय 03.15 पी.एम पर परिवादी श्री मनराज मीना पुत्र श्री बत्तीलाल मीना, जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी डेकवा, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आया एवं एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा श्री पवन कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना अलीगढ व करमवीर कानिस्टेबल के विरूद्ध करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक उक्त पुलिस कर्मीयों को लग चुकी है। क्योंकि मैं मेरे काकाजी मूरतलाल की मोटरसाईकिल छुडवाने के लिये पुलिस थाना अलीगढ गया था, जहां पर मुझे थानाधिकारी पवन व अन्य पुलिसकर्मी मिले थे, जिन्होने मुझे गाली-गलोच कर पुलिस थाने से बाहर निकाल दिया। इसलिये मुझे शक है कि उनको मेरे द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। इस कारण ना तो उन्होने मेरे से रिश्वत राशि की मांग की और ना ही वो मेरे से अब रिश्वत राशि लेंगे। अतः मेरे 20,000/-रू. वापिस लौटाने की कृपा करें। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि मेरे घर पर खेती-बाडी व मेरे भाई राजमल की जमानत कराने के कारण मैं आपके पास नही आ पाया। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात समय 04.00 पी.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री हिम्मत सिंह मीना छात्रावास अधीक्षक राजकीय अम्बेडकर अनु. जनजाति छात्रावास

शहर सवाई माधोपुर एवं श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक राजकीय अम्बेडकर अनु0 जाति छात्रावास फलौदी जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आये। उपस्थित गवाहान को परिवादी द्वारा आज दिनांक 31.10.2025 को पेश प्रार्थना पत्र दिखाकर पढवाया जाकर दिनांक सहित हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 10.09.2025 को रिश्वत में दी जाने हेतु प्रस्तुत की गई रिश्वति राशि 20,000/- रूपये की राशि को मालखाना से कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 से निकलवायी जाकर नोटो को पाउडर मुक्त कराकर परिवादी श्री मनराज मीना को लौटायी जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई व वक्त करीबन 04.20 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस पर ACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया।अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से संदिग्ध अभियुक्तगण श्री पवन कुमार उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना अलीगढ जिला टोंक एवं श्री कर्मवीर सिंह चाहर हाल कानि0 604 पुलिस चैकी पचाला पुलिस थाना अलीगढ जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरिके से परिवादी श्री मनराज मीना पुत्र श्री बत्तीलाल मीना, जाति मीना उम्र 30 वर्ष निवासी डेकवा, पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर से पुलिस थाना अलीगढ जिला टोंक में दर्ज प्रकरण संख्या 158/2024 में बन्द परिवादी के भाई राजमल मीना के साथ मारपीट नही करने व कोर्ट में पेश करने की एवज में 40,000/- रूपये की मांग करना तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.09.2025 को परिवादी मनराज मीना से पुलिस थाना अलीगढ में संदिग्ध आरोपी पवन कुमार थानाधिकारी द्वारा कागज पर लिखकर 30,000/- रूपये लिखकर धीमी आवाज में 30,000/- रूपये बोलकर कर्मवीर सिंह कानि. को देना व उसी दिन परिवादी मनराज मीना से पुलिस चैकी पचाला में परिवादी मनराज मीना द्वारा कर्मवरी सिंह कानि. को दस हजार रूपये की कहकर 9,500/- रूपये कर्मवीर सिंह कानि0 के कहे अनुसार खाना बनाने वाले को दिलवाना तथा शेष रिश्वति राशि 20,000/- रूपये दिनांक 10.09.2025 को लेने पर सहमत होना। उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 10.09.2025 व 15.09.2025 को दो स्वतन्त्र गवाहो की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दिनांक 10.09.2025 को संदिग्ध आरोपी कर्मवीर सिंह कानि. का चैकी पचाला पर नही मिलना तथा दिनांक 15.09.2025 को रिश्वत राशि लेने से मना करना तथा परिवादी मनराज मीना के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2025 के अनुसार संदिग्ध आरोपीगण को परिवादी पर शक होना व रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना। संदिग्ध अभियुक्तगण पवन कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना अलीगढ एवं कर्मवीर सिंह कानि. पुलिस चैकी पचाला पुलिस थाना अलीगढ का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2)बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।एस.डी.(ज्ञान सिंह चोधरी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सवाई माधोपुर..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चोधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री पवन कुमार पुत्र श्री पितराम निवासी गांव सालम का बास पो. बडसरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनु हाल उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना अलीगढ जिला टोंक व 2- श्री कर्मवीर सिंह चाहर पुत्र श्री पृथ्वी सिंह चाहर निवासी ग्राम व पोस्ट चारावास तहसील खेतडी पुलिस थाना खेतडी नगर जिला झुन्झुनु हाल कानि0 604 पुलिस चैकी पचाला पुलिस थाना अलीगढ जिला टोंक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 07 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 01-05 दिनांक 01-01-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टौंक 2- महानिरीक्षक पुलिस, रेंज अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, टौंक 4 - उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sunil sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 0 /2026 1 8

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)